रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-15062022-236586 CG-DL-E-15062022-236586

> असाधारण EXTRAORDINARY

> भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 302]

No. 302]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 14, 2022/ज्येष्ठ 24, 1944 NEW DELHI TUESDAY, JUNE 14, 2022/JYAISTHA 24, 1944

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 2022

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम. 2022

- सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.084.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 7, धारा 9 और धारा 240 के साथ पठित धारा 196 की उपधारा (1) के खंड (न) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थातु:—
- 1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् 'मूल विनियम' कहा गया है) में, विनियम 2क के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्;—

4027 GI/2022 (1)

"2ख. प्रचालन लेनदार द्वारा संव्यवहार, ऋण और व्यतिक्रम (चूक) का अभिलेख या साक्ष्य—प्रचालन लेनदार, धारा 9 के अधीन आवेदन के साथ, माल और सेवा-कर से संबंधित सुसंगत विधियों के उपबंधों के अधीन फाइल किए गए प्ररूप जी.एस.टी.आर.-1 और प्ररूप जी.एस.टी.आर.-3बी के सुसंगत उद्धरणों की प्रतियां और, जहां कहीं भी लागू हो, ई-वे बिल की प्रति देगा:

परन्तु इस विनियम के उपबंध उन प्रचालन लेनदारों को, जिनके लिए रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा नहीं है और उन माल और सेवाओं को, जो माल और सेवा-कर से संबंधित किसी विधि के अंतर्गत नहीं आती हैं, लागू नहीं होंगे।

- **2ग. आवेदन के साथ जानकारी का प्रस्तुत किया जाना**—वित्तीय लेनदार या प्रचालन लेनदार, यथास्थिति, धारा 7 या धारा 9 के अधीन आवेदन फाइल करते समय. अपने
 - (क) स्थायी खाता संख्यांक; और
 - (ख) ईमेल-आई.डी.

के ब्यौरे भी प्रस्तृत करेगा।"

- 3. मूल विनियमों के विनियम 4 में, उप-विनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—
 - "(2) कारपोरेट ऋणी के कार्मिक, उसके संप्रवर्तक या कारपोरेट ऋणी के प्रबंधतंत्र से सहबद्ध कोई अन्य व्यक्ति, यह जानकारी ऐसे समय के भीतर और ऐसे प्ररूप में प्रदान करेगा, जैसा कि, यथास्थिति, अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावस्थिक द्वारा ईप्सा की जाए।
 - (3) लेनदार, यथास्थिति अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक को अंतिम मूल्यांकन रिपोर्ट से कारपोरेट ऋणी की आस्तियों और उसके दायित्वों की बाबत जानकारी, स्टॉक विवरणी, प्राप्य संबंधी विवरणी, संपत्तियों की निरीक्षण रिपोर्टों, लेखापरीक्षा रिपोर्ट, स्टॉक लेखापरीक्षा रिपोर्ट, हक जांच रिपोर्ट, तकनीकी अधिकारियों की रिपोर्ट, बैंक खाता विवरणी और ऐसी अन्य जानकारी प्रदान करेगा, जो अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक के लिए सूचना ज्ञापन तैयार करने, मूल्यांकन का अवधारण कराने या कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया का संचालन करने में सहायक होगी।"
- 4. मूल विनियमों के विनियम 7 के उप-विनियम (2) के खंड (ख) में, उपखंड (iv) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—
 - "(v) माल और सेवा-कर से संबंधित सुसंगत विधियों के उपबंधों के अधीन फाइल किए गए प्ररूप जी.एस.टी.आर.-1 और प्ररूप जी.एस.टी.आर.-3बी के उद्धरणों की प्रतियां और, जहां कहीं भी लागू हो, ई-वे बिल की प्रति:

परन्तु इस विनियम के उपबंध उन लेनदारों को, जिनके लिए रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा नहीं है और उन माल और सेवाओं को, जो माल और सेवा-कर से संबंधित किसी विधि के अंतर्गत नहीं आती हैं, लागू नहीं होंगे।"

- 5. मूल विनियमों के विनियम 35 के उप-विनियम (1) में, खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थातु:—
 - "(ख) यदि किसी आस्ति वर्ग में किसी मूल्य के दो प्राक्कलन महत्वपूर्ण रूप से भिन्न हैं या लेनदारों की समिति की ओर से तीसरा रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक नियुक्त करने का प्रस्ताव प्राप्त होने पर, समाधान व्यावसायिक, खंड (क) में उपबंधित रीति में संगणित मूल्य का प्राक्कलन प्रस्तुत करने के लिए किसी आस्ति वर्ग के लिए तीसरा रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक नियुक्त कर सकेगा।

स्पष्टीकरण: खंड (ख) के प्रयोजनार्थ,

- (i) "आस्ति वर्ग" से कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के अधीन उपबंधित परिभाषा अभिप्रेत है:
- (ii) "महत्वपूर्ण रूप से भिन्न" से, किसी आस्ति वर्ग के अधीन परिसमापन मूल्य में पच्चीस प्रतिशत का अंतर अभिप्रेत है और उसकी संगणना (एल.1 – एल.2)/एल.-1 के रूप में की जाएगी, जहां,

एल.-1 = परिसमापन मूल्य का उच्चतर मूल्यांकन

एल.-2 = परिसमापन मूल्य का निम्नतर मूल्यांकन।"

- 6. मूल विनियमों के विनियम 35क में, उप-विनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—
 - "(4) लेनदार, समाधान व्यावसायिक को, ऐसी कोई जानकारी प्रदान करेगा, जो लेनदारों द्वारा की गईं कारपोरेट ऋणी की लेखा-परीक्षाओं, जैसे स्टॉक लेखापरीक्षा, संव्यवहार लेखापरीक्षा, न्यायालयिक लेखापरीक्षा, आदि से उपलब्ध हो सकेगी।"
- 7. मूल विनियमों के विनियम 36 में, उप-विनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—
 - "(3क) लेनदार, समाधान व्यावसायिक को, उनके पास उपलब्ध कारपोरेट ऋणी की अद्यतन वित्तीय विवरणियां और अन्य सुसंगत वित्तीय जानकारी प्रदान करेंगे।"
- 8. मूल विनियमों के विनियम 38 में, उप-विनियम (2) में, खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—
 - "(घ) उस रीति के लिए, जिसमें संहिता के भाग 2 के अध्याय 3 के अधीन अपरिवर्जनीय संव्यवहारों, यदि कोई हैं या अध्याय 6 के अधीन कपटपूर्ण या सदोष व्यापार की बाबत कार्यवाहियों का समाधान योजना के अनुमोदन के पश्चात् परिशीलन किया जाएगा और उस रीति के लिए, जिसमें ऐसी कार्यवाहियों से हुए आगमों को, यदि कोई हैं, वितरित किया जाएगा, उपबंध:

परन्तु यह खंड ऐसी किसी समाधान योजना को लागू नहीं होगा, जो धारा 30 की उपधारा (6) के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022 के प्रारंभ की तारीख को या उसके पूर्व प्रस्तुत की गई है।"

रवि मित्तल, अध्यक्ष,

[विज्ञापन III/4/असा./121/2022-23]

टिप्पण: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III—खण्ड IV सं. 432, तारीख 30 नवम्बर, 2016 में अधिसूचना

सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.004, तारीख 30 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 82, तारीख 9 फरवरी, 2022 में, अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2021-22/जी.एन./आर.ई.जी.080, तारीख 9 फरवरी, 2022 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2022 द्वारा किया गया था।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 14th June, 2022

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Second Amendment) Regulations, 2022

- **No. IBBI/2022-23/GN/REG084.** In exercise of the powers conferred by clause (t) of sub-section (1) of section 196 read with sections 7, 9 and 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations further to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016, namely:—
- 1. (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Second Amendment) Regulations, 2022.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 (hereinafter referred to as 'the principal regulations'), after regulation 2A, the following regulations shall be inserted, namely:—

"2B. Record or evidence of transaction, debt and default by operational creditor.

The operational creditor shall, alongwith application under section 9, furnish copies of relevant extracts of Form GSTR-1 and Form GSTR-3B filed under the provisions of the relevant laws relating to Goods and Services Tax and the copy of e-way bill wherever applicable:

Provided that provisions of this regulation shall not apply to those operational creditors who do not require registration and to those goods and services which are not covered under any law relating to Goods and Services Tax.

2C. Submission of information along with application.

The financial creditor or operational creditor shall, while filing application under section 7 or 9, as the case may be, also furnish details of his/ its—

- (a) Permanent Account Number; and
- (b) Email-ID."
- 3. In the principal regulations, in regulation 4, after sub-regulation (1), the following sub-regulations shall be inserted, namely:—
 - "(2) The personnel of the corporate debtor, its promoters or any other person associated with the management of the corporate debtor shall provide the information within such time and in such format as sought by the interim resolution professional or the resolution professional, as the case may be.
 - (3) The creditor shall provide to the interim resolution professional or resolution professional, as the case may be, the information in respect of assets and liabilities of the corporate debtor from the last valuation report, stock statement, receivables statement, inspection reports of properties, audit report, stock audit report, title search report, technical officers report, bank account statement and such other information which shall assist the interim resolution professional or the resolution professional in preparing the information memorandum, getting valuation determined and in conducting the corporate insolvency resolution process."
- 4. In the principal regulations, in regulation 7, in sub-regulation (2), in clause (b), after sub-clause (iv), the following sub-clause shall be inserted, namely:—
 - "(v) copies of relevant extracts of Form GSTR-1 and Form GSTR-3B filed under the provisions of the relevant laws relating to Goods and Services Tax and the copy of e-way bill wherever applicable:

Provided that provisions of this sub-clause shall not apply to those creditors who do not require registration and to those goods and services which are not covered under any law relating to Goods and Services Tax."

- 5. In the principal regulations, in regulation 35, in sub-regulation (1), for clause (b), the following clause shall be substituted:—
 - "(b) if the two estimates of a value in an asset class are significantly different, or on receipt of a proposal to appoint a third registered valuer from the committee of creditors, the resolution professional may appoint a

third registered valuer for an asset class for submitting an estimate of the value computed in the manner provided in clause (a).

Explanation.- For the purpose of clause (b),

- (i) "asset class" means the definition provided under the Companies (Registered Valuers and Valuation) Rules, 2017;
- (ii) "significantly different" means a difference of twenty-five per cent. in liquidation value under an asset class and the same shall be calculated as (L1-L2)/L1, where,
 - L1= higher valuation of liquidation value
 - L2= lower valuation of liquidation value."
- 6. In the principal regulations, in regulation 35A, after sub-regulation (3), the following sub- regulation shall be inserted, namely:—
 - "(4) The creditors shall provide to the resolution professional, relevant extract from the audits of the corporate debtor, conducted by the creditors such as stock audit, transaction audit, forensic audit, etc."
- 7. In the principal regulations, in regulation 36, after sub-regulation (3), the following sub- regulation shall be inserted, namely:—
 - "(3A) The creditors shall provide to the resolution professional the latest financial statements and other relevant financial information of the corporate debtor available with them."
- 8. In the principal regulations, in regulation 38, in sub-regulation (2), after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:—
 - "(d) provides for the manner in which proceedings in respect of avoidance transactions, if any, under Chapter III or fraudulent or wrongful trading under Chapter VI of Part II of the Code, will be pursued after the approval of the resolution plan and the manner in which the proceeds, if any, from such proceedings shall be distributed:

Provided that this clause shall not apply to any resolution plan that has been submitted to the Adjudicating Authority under sub-section (6) of section 30 on or before the date of commencement of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Second Amendment) Regulations, 2022."

RAVI MITAL, Chairperson,

[ADVT.-III/4/Exty./121/2022-23]

Note: The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 were published vide notification No. IBBI/2016-17/GN/REG004, dated 30th November, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 432 on 30th November, 2016 and were last amended by the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Amendment) Regulations, 2022 published vide notification No. IBBI/2021-22/GN/REG080, dated the 9th February, 2022 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 82 on 9th February, 2022.